

JOINT COMMITTEE REPORT
FOR FACTUAL & ACTION TAKEN STEPS

[Joint Committee constituted by
Hon'ble NGT vide its order dated 05.12.2023 in
OA No. 174/2023 (CZ)]

(Suo Moto Action on the News Paper Article Published in Dainik
Bhaskar Daily Dated 27.11.2023 regarding illegal sand mining and
killing of official on duty in Shahdol District of Madhya Pradesh Vs
State of Madhya Pradesh & Ors.

Date of Inspection :- 22.12.2023

By

Committee members

1. Mr. Devendra Patle, Mining Officer, Mining Department, Collector Office, Shahdol (M.P.)
2. Mr. Sanjeev Kumar Mehra, Regional Officer, MPPCB, Shahdol (M.P). [as nodal officer]



Documents Enclosure Table :-

S. No.	Name Of The Document	Annexure No.
01	Copy of Hon'ble NGT Order dated 05.12.2023	Annexure-1
02	Copy of Official Order Related To Nomination For Joint Inspection	Annexure-2
03	Copy of Gazette Notification SO. No. 4030(E) dated 13 December 2016 & Google Earth image of the Son Ghariyal Sanctuary jurisdiction	Annexure-3
04	Photographs during the time of Joint Inspection	Annexure-4
05	Copy of letter to Director Sanjay Gandhi Tiger Forest Reserve requesting strict action against illegal mining	Annexure-5
06	Copy of Task Force Committee Meeting order	Annexure-6
07	Copy of Letter to Director Sanjay Gandhi Tiger Forest Reserve requesting strict action to stop illegal sand mining	Annexure-7
08	Copy of Letter to Director Sanjay Gandhi Tiger Forest Reserve directing to take strict action against people involved in illegal sand mining	Annexure-8
09	Copy of the order to impose section 144 of IPC	Annexure-9
10	Copy of Letter of instruction to Regional Head Directorate of Geology & Mining for continuous monitoring by flying squad	Annexure-10
11	Copy of executive order for establishing Two check posts	Annexure-11
12	Copy of proposal for EC submitted to the Collector	Annexure-12
13	Copy of letter with list of seized vehicle is enclosed	Annexure-13
14	Copy of the order granting Ex-gratuity amount to the legal heir	Annexure-14
15	Copy of the order sanctioning the payment of Earned Leaves	Annexure-15
16	Copy of the order granting legal heir the insurance amount	Annexure-16
17	Copy of the order granting the legal heir the benefits under Sah Awadhi Sah Beema Yojna 2003	Annexure-17
18	Copy of letter requesting District Mining Officer to take action against illegal sand mining	Annexure-18
19	Copy of letter requesting District Mining Officer to provide details about the action taken against illegal sand mining incidents	Annexure-19
20	Copy of letter to Superintendent of Police of all districts in Shahdol Division to take action against illegal sand mafias	Annexure-20
21	Copy of Environmental Compensation Notice written to Mr. Narayan Singh & Mr. Shubham	Annexure-21
22	Copy of letter of EC proposal submitted to HO, Bhopal	Annexure-22

Date: 15.01.2024

BHOPAL

SUBMITTED BY

Parul

PARUL BHADORIA

Mobile: 8085977111

parul.bhadoria04@gmail.com

खनि अधिकारी
जिला शाहडोल (म.प्र.)

[Signature]

JOINT COMMITTEE REPORT
FOR FACTUAL & ACTION TAKEN STEPS
[Joint Committee constituted by
Hon'ble NGT vide its order dated 05.12.2023 in
OA No. 174/2023 (CZ)]

None
(Suo Moto Action on the News Paper Article Published in Dainik Bhaskar
Daily Dated 27.11.2023 regarding illegal sand mining and killing of official on
duty in Shahdol District of Madhya Pradesh Vs State of Madhya Pradesh &
Ors.

Hon'ble National Green Tribunal, Central Zone Bench, Bhopal has passed an order on 05.12.2023 in the application no. 174/2023. The main operating parts of the directions of the order are as follows:

- "6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present. Original Application, form a Joint Committee consisting of:-*
- i. Mining Officer, Shahdol, M.P.*
 - ii. One representative from State Pollution Control Board Committee M.P.*
- 7. The committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.*
- 9. The report in the matter be filed by the committee through E-Mail at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR support PDF in not in the form of image PDF."*


[Annexure-1]

Accordingly, committee members are deputed to inspect the site.

1. Hon'ble NGT has nominated District Mining Officer by order dated 05.12.2023.
2. Member Secretary, MPPCB has nominated Regional Officer, MPPCB by letter No. 3454 Dated 07.12.2023 **[Annexure-2]**

Above official Order related to nomination of representative of MPPCB officer are enclosed.


खनि अधिकारी
जिला शाहदोल (म.प्र.)




Overview :-

The Son River originates from Amarkantak hill. The Son River is a perennial river located in Central India. The incident of place in Gopalpur Village, Tehsil-Beohari, District-Shahdol (M.P.). Presently the flow of water in Son River near the place of incident is very low because it lies at downstream of Bansagar Dam. No sand mines are allocated here in this region because this part of river comes under the protected area of The Son Gharial Wildlife Sanctuary a subsidiary of Sanjay Gandhi Forest Reserve. [Annexure-3] The Crime Spot lies in a secluded area from the main population area. It lies near the border of District Satna, District Sidhi & District Shahdol. The border of District Sidhi is about 10 km away & border of Satna district starts just across the Son River. The extent of eco sensitive zone is one kilometer from the boarding of Son Ghariyal Sanctuary. Director Son Ghadiyal Wildlife Sanctuary has the jurisdiction & power to take action in its protected area.

As per notification published by government of India, on dated 13 December 2016 S.O No. 4030(E). This area comes under Son Ghariyal Wildlife Sanctuary. The trace of very minimal amount illegal excavation was seen near this area of incident. On the spot of crime there were two small mining holes of size approximately 12x9x2.1m (226m³ approx) & 11x6.1x1.3m (87.2m³ approx). There is no police station in Gopalpur Village, nearest police station from the crime spot is about 35 km in Deolond in Shahdol District and about 38 km in Sidhi District & nearest police station is about 30 km in Ramnagar in Satna District. Due to such present conditions the crime spot might had been chosen by the culprits for illegal sand mining. Currently no illegal mining activity was being seen in that area. During time of visit.


खनि अधिकारी
जिला शाहदोल (म.प्र.)



About The Village-Gopalpur:-

Shahdol District is situated in north-eastern part of the Madhya Pradesh, India. Village Gopalpur is situated in Tehsil-Beohari of the District Shahdol about 33 km away from nearest city Nagar Parishad Beohari with total 461 families residing in Gopalpur village. The Gopalpur village has population of 1786 consist of 906 males and 880 females as per Population Census 2011. In Gopalpur village population of Children with age 0-6 is 284 which makes up to 15.90% of total population of village. This village has lower literacy rate compared to Madhya Pradesh. In 2011, literacy rate of this village was 64.91% compared to 69.32 % of Madhya Pradesh. In Gopalpur Male literacy stands at 79.33% while female literacy rate was 50.53 % Population density is 346.46 person per square kilometer.

Total area of Gopalpur is 515.5 ha. as per data available year 2009. Total sown/agricultural area is 218.8 ha. About 204.91 hectare is un-irrigated area.

Joint Inspection as per The Hon'ble NGT order dated 05.12.2023

To find out facts as well as to ascertain present actual status wrt illegal mining of the complaint mentioned in NGT order. The joint committee has visited the site on 22.12.2023, investigated the site & saw the status of the area wrt illegal mining.

Present Status of Sand Mining:-

Presently there is no sand mining activity occurring in Gopalpur village since many days. No sand mines have been allotted in this region because this land comes under the jurisdiction of Son Ghadiyal Wildlife Sanctuary & is a protected forest land up to the hillocks on the both side of Son River. For this area neither

(6)

mining lease for sand mining is allotted by Collectorate Shahdol nor CTE/CTO is issued by MPPCB, Shahdol.

Status of Soil Erosion:-

Soil erosion in general occurs when rains are heavy & flow of water through the field with high velocity. At the time of joint inspection, it is found that there is no soil erosion happened neither any conditions of soil erosion are found prevailing. The mining activity was not seen during inspection. The river bed of Son River is full of sands. Photographs are enclosed. [Annexure-4]

Status of the Roads:-

The road connecting from the village road to the inspection site was a Kachchii road. Two trenches were dug by the Mining Department to stop the movement of tractor trolleys transporting illegally mined sand. After unfortunate incident on 25.11.2023. No machinery and vehicles for transportation were found in the area during joint inspection.

Status of Ground Water:-

Ground water level is at satisfactory level & water availability for the village is sufficient due to presence of Son River & availability of conduits from Bansagar Dam. No depletion of ground water table has been observed.

Status of Agricultural Crops:-

The agriculture crops in the village Gopalpur area mainly categorized as Khariff and Rabi Crops. Rice, wheat, is the main agricultural food crop and mustard, Gram, Dal, Peas also cultivated. The sediment in the form of river bed material i.e. sand has deposited in the last many years as a process of sedimentation. Sand beds have been formed at various places hindering the flow of water and excess deposition had changed the shape of river. Because of this, during monsoon season, the water may rise above the high flood level causing water from

River Son to enter into nearby agricultural fields. Such disasters may damage large tracts of land laying on the banks of the river especially the agricultural land. No adverse impact on agriculture field due to illegal mining is envisaged.

Status Regarding Deforestation:-

There was no sign of cutting of any type of trees, vegetation etc. found on the site or near the site. No trees stumps were found on the site. Well grown trees of various native variety ex.- Khamar, Plash, Babul etc. were seen on both sides of the river.

Status of Pollution in the area:-

In the nearby areas of the mining spot no spillage or collection of any type of chemical waste & oil waste was found. During inspection no adverse effect on neither environment or any sign of pollution be it air pollution, water pollution or noise pollution was seen. Since water is not used in process of sand mining hence no waste water is generated for the process and also because no use of fossil fuel in sand mining process, there is no emission of gases like CO₂, NO, SO₂ etc in mining activities. No scope of river water pollution was found as the spot of mining was far from the stream of river about 75-100 meters. No change in shape of river bed has occurred/observed due to the illegal mining activity. The air quality around the area was good. No traces of any type of harm to environment were found.

Action Taken by Mining Department of Shahdol:-

- i. Director, Sanjay Gandhi Tiger Reserve, Sidhi was requested to take strict action to stop illegal sand mining and transportation being carried out in protected forest land under Son Ghadiyal Wildlife Sanctuary vide Letter No. 645 dated 14.09.2023. [Annexure-5]
- ii. Task Force Committee Meeting was scheduled by Mining Officer, Shahdol regarding the matter of illegal sand mining activities in the district vide Letter No. 695 dated 06.10.2023. [Annexure-6]


खनि अधिकारी
जिला शाहदोल (म.प्र.)



- iii. Director, Sanjay Gandhi Tiger Reserve, Sidhi (Son Ghadiyal), was requested to take strict action to stop illegal sand mining and transportation being carried out in protected forest land under Son Ghadiyal Wildlife Sanctuary vide Letter No. 884 dated 22.11.2023. **[Annexure-7]**
- iv. Director, Sanjay Gandhi Tiger Reserve, Sidhi (Son Ghadiyal), was directed to take strict action against people involved in illegal sand mining in Son Ghadiyal Sanctuary area vide Letter No. 887 dated 27.11.2023. **[Annexure-8]**
- v. Section 144 of IPC was imposed in the affected area vide Order No. 847 dated 06.12.2023. **[Annexure-9]**
- vi. The Regional Head, Directorate of Geology & Mining, Regional Office, Rewa was instructed for continuous monitoring by flying squad In-charge Rewa/Shahdol to prevent illegal excavation/transportation vide Letter No. 917 dated 08.12.2023. **[Annexure-10]**
- vii. Two check posts installed with CCTV cameras are established one in Sukhad (before Son River Bridge) & other in Bairihayi (before Bridge on Banas River). Executive order No. 918 dated 09.12.2023 was issued to ensure its establishment and operation. **[Annexure-11]**
- viii. Two trenches were excavated obstructing the path to stop movement of tractor trolley from the excavations site.
- ix. A proposal for imposing penalty and environmental compensation has been presented to the Collector, Shahdol by the Mining Inspector, Shahdol. Copy of the proposal is enclosed. **[Annexure-12]**
- x. Various vehicles involved in transportation of illegally excavated sand have been seized & penalty & environmental compensation has been imposed & the penalty amount has been collected. List of seized vehicles is enclosed. **[Annexure-13]**


The family of the Late Shri Prassanna Singh was taken care off with swift actions as follow:-

- i. An Ex-gratuity amount of Rs. 50000.00/- (Fifty Thousand Rupees Only) was granted to legal heir/nominee Shrimati Gunja Singh wife of Late Shri Prassanna Singh by the concerned Tehsildar of Tehsil Beohari vide order no. 539 dated 27.11.2023. [Annexure-14]
- ii. Total amount of Rs. 187879.00/- (One Lakh Eighty Seven Thousand Eight Hundred & Seventy Nine Only) for 155 days of Earned Leaves was sanctioned by concerned Tehsildar of Tehsil Beohari vide order no. 559 dated 28.12.2023. [Annexure-15]
- iii. Legal heir/nominee Shrimati Gunja Singh was granted the insurance amount of Rs. 250000.00/- (Two Lakh Fifty Thousand Rupees Only) under M.P. Government Service (Employees Insurance Cum-Saving Scheme) by concerned Tehsildar of Tehsil Beohari vide order no. 539 dated 27.11.2023. [Annexure-16]
- iv. Nominated Beneficiary Shrimati Gunja Singh wife of Late Shri Prassanna Singh was granted the benefits of Rs. 10198.00/- (Ten Thousand One Hundred Ninety Eight Rupees Only) as per Sah Awadhi Sah Beema Yojana 2003 run by MP Government by concerned Tehsildar of Tehsil Beohari vide order no. 561 dated 28.12.2023. [Annexure-17]

The Action taken by MPPCB to stop/halt illegal mining happening in the District Shahdol is as follows:-

- i. District Mining Officer was requested to take action against illegal sand mining occurring in the District vide Letter No. 3330 dated 20.11.2023. [Annexure-18]
- ii. District Mining Officer, Shahdol was requested to provide details of the cases registered and action taken against illegal sand mining incidents vide Letter No. 3463 dated 04.12.2023. [Annexure-19]


 खनि अधिकारी
 जिला शाहदोल (म.प्र.)



- iii. Superintendent of Police of all the districts in Shahdol Division were intimated to take action against illegal sand mafias to discourage any further illegal activities related to sand mining in district vide Letter No. 3541 dated 07.12.2023. [Annexure-20]
- iv. Environmental Compensation notice was written to Mr. Narayan Singh, Maihar (Owner of Tractor used for illegal sand mining) & Mr. Shubham (Driver of tractor used for illegal sand mining) vide Letter No. 3539 dated 07.12.2023 & Letter No. 3553 dated 08.12.2023 through concerned police station. [Annexure-21]
- v. Environmental Compensation proposal was submitted to H.O., MPPCB, Bhopal via letter No 3769 dated 02.01.2024. [Annexure-22]

Conclusion:-

- i. No damage was done to the surrounding environment near the spot of crime.
- ii. No traces of pollution were found in the surrounding areas.
- iii. The illegal excavation of sand was done but the extent of excavation was not to huge so as to cause any major environmental damages or major loss in revenue due to this activity.
- iv. Regular steps have been taken by the competent authorities to curb the illegal excavation of sand in term of increased surveillance, establishment of check posts and construction of trench along approach roads.


Recommendations:-

- 1. A common police chowki should be sanctioned for all the related districts Shahdol, Satna & Sidhi in the buffer zone where the illegally operated vehicles can be parked after seizing them for further processing.
- 2. Son Ghadiyal Sanctuary Management to deploy patrols in their protected areas which are quite far from general population.
- 3. Regular patrolling shall be done by forest department in areas which comes under protected forest land & local police & mining department in the revenue land.


 खनि अधिकारी
 जिला शाहडोल (म.प्र.)



- 4. Local police administration & RTO shall be vigilant to stop & seize any vehicle transporting sand without proper transit pass.
- 5. Full fledged police station should be established in nearby town Budhwa to effectively control illegal mining in Son Ghariyal Wildlife Sanctuary area related to Shahdol District.

<p> Devendra Patle District Mining Officer Office of District Collector (Mining Department) District – Shahdol (M.P.)</p>	<p> Sanjeev Mehra Regional Officer Regional Office M.P. Pollution Control Board District – Shahdol (M.P.)</p>
---	---

Item No. 02

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)
Original Application No. 174/2023(CZ)**

Suo Moto Action on the News Paper
Article Published in Dainik Bhaskar
Daily, Dated 27.11.2023 regarding
illegal sand mining and killing of
official on duty in Sahdol District of
Madhya Pradesh

Applicant(s)

Vs.

State of Madhya Pradesh & Ors.

Respondent(s)

Date of Hearing: **05.12.2023**

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

For Applicant(s): None.

For Respondent(s): None.

ORDER

1. The high handedness of sand mafias in the District Sahadol of Madhya Pradesh was highlighted by the newspaper article published in Dainik Bhaskar Daily dated 27.11.2023 regarding illegal sand mining and killing of official on duty named Mr. Prasanna Singh working as Patwari, Vyohari Sahadol MP, who was a retired army personnel and later on was appointed as Patwari and was deputed by the District Administration to control the illegal sand mining and transportation.
2. The deceased being Patwari and deputed to work and being retired army personnel was doing his duty from more than three days to control the illegal mining during day and night and when he saw the transportation of sand mining by a tractor, he tried to stop the vehicle but the driver of the vehicle crushed him and he died on the spot.
3. It is reported that there are repeated violations of environmental rules and illegal sand minings and the officers who are involved in the control of sand minings are crushed brutally by the sand mafias and necessary actions are not being initiated by the administration.


4. Following are made respondents :-
 - i. State of Madhya Pradesh through District Magistrate, Sahdol, M.P.
 - ii. Mining Officer, Sahdol, M.P.
 - iii. Mr. Narayan Singh Maihar through concerned Police Station (owner of the Tractor used for illegal mining).
 - iv. Madhya Pradesh Pollution Control Board.
 - v. Mr. Subham, driver of the vehicle.
5. Issue notice to respondent returnable within four weeks. Office/Registry is directed to take necessary steps. Respondents are directed to submit their reply within six weeks.
6. We deem it just and proper to call a report on the matter in issue in present Original Application, from a Joint Committee consisting of:-
 - i. Mining Officer, Sahdol, M.P.
 - ii. One representative from the State Pollution Control Board, M.P.
7. The Committee is directed to visit the place and submit the factual and action taken report within four weeks. The State PCB will be the nodal agency for coordination and logistic support.
8. The vehicle be seized and will not be released without the order of this Tribunal.
9. The report in the matter be filed by the Committee through email at ngtczbbho-mp@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List it on **25th January, 2024.**

Sheo Kumar Singh, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

05th December, 2023
O.A. No. 174/2023 (CZ)
PN



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेय कॉलोनी, भोपाल-462016

Fax No: +91 755-2463742 E-mail: it_mppcb@rediffmail.com



कमांक

/विधि/एनजीटी/प्रनिबो/2023,

भोपाल, दिनांक

// आदेश //

सिविल प्रकिया संहिता 1908(1908 का अधिनियम संख्याक 5) के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल को (पक्षकारों के नाम) OA 174/2023 (Suo Moto Action on the News Paper Article Published in Dainik Bhaskar Daily, Dated 27.11.2023 regarding illegal sand mining and killing of official on duty in Sahdol District of Madhya Pradesh) भोपाल बैंक, में म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिये तथा कार्य करने, आवेदन पत्र करने और उपरांजात होने के लिये नियुक्त करते हैं। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है, कि म0प्र0 विधि और विधायी कार्य विभाग विद्यमानवली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा :-

- (1) प्रभारी अधिकारी, मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसा कि आवश्यक हो और याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये, जिनसे कि मामले के संचालन में कोई अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो। रिपोर्ट तैयार करेगा। यदि किसी प्रकरण पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था, तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट की जावे।
- (2) समस्त सुसंगत फाइलें, दस्तावेज, नियम, अधिसूचना तथा आदेश एकत्रित करेगा।
- (3) याचिका में उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुये और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुये जिनसे की कोई द्वारा नियुक्त अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (4) उक्त रिपोर्ट तथा सामाग्री के साथ बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करेगा।
- (5) बोर्ड अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
- (6) प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागजपत्र भेजेगा :-
 - (1) वादपत्र की एक प्रति के साथ बोर्ड की एक रिपोर्ट।
 - (2) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
 - (3) उन सभी दस्तावेजों की एक पूरी सूची, जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, भोपाल बैंक में प्रस्तावित है, और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
 - (4) मामले के विशादीकरण के लिये आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियां, इशमें बाद की सुनवाई की तारीख भी वर्णित होनी चाहिये।
- (7) मामले की तैयारी और संचालन करने में बोर्ड अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किये गये कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।

15



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर,ई-5,अरेरा कॉलोनी,भोपाल-462016

Fax No : 91-755-2463742 E-mail : if_mppch@rediffmail.com

- (8) जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्ट तथा बोर्ड के विरुद्ध पारित किया जाता है तो बाई को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये उशी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना ।
- (9) अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा बोर्ड अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही के किये जाने के लिये इस बोर्ड को भेजेगा।
- (10) यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो ।
- (11) जैसे कि उसे अपना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होता है वह अर्घ शासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात भी जब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा, जब तक अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाये।
- (12) प्रभारी अधिकारी,मागला तैयार करने में बोर्ड अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि,कोई महत्वपूर्ण पत्र या दस्तावेज अप्रकटित/गुपी हुई न रह जाये।
- (13) प्रभारी अधिकारी या लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह जैसे ही विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट सदस्य सचिव को करेगा। निर्णय की एक प्रति अभी प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाये।
- (14) प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुर्करर है तो वह इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद के प्रकम में कार्य किये गये किसी अंतरिम आदेश का पुर्नरीक्षण आपेक्षित है। समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही पारित की जाये सदस्य सचिव को अपनी अनुशंसा के साथ बोर्ड को अघेधित करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(आर.एस.कोरी)

डायरेक्टर पर्यावरण(विधि)

भोपाल, दिनांक 07 DEC 2023

प्र0क03454/विधि-एनजीटी/प्रनिवो/2023,
प्रतिलिपि :-

(11) क्षेत्रीय अधिकारी,क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शहडोल प्रभारी अधिकारी की ओर अघेधित साथ ही बोर्ड अधिवक्ता से सम्पर्क करने तथा अपनी प्रत्येक भेंट (विजिट) पर बोर्ड अधिवक्ता से आगे की कार्यवाही के लिये सलाह करने और मामले में अपनी प्रगति रिपोर्ट के साथ सदस्य सचिव को भेजने हेतु अघेधित मामले की प्रगति रिपोर्ट की एक प्रति बोर्ड का सदैव ही भेजी जावे। कृपया बोर्ड रिटेनर के माध्यम से आदेश के अनुपालन हेतु मा. एनजीटी द्वारा गठित समिति द्वारा नामांकित अधिकारी से समन्वय कर 4 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट व 6 सप्ताह में रिप्लाय मा.एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत करे, ताकि निर्धारित समयवाधि में मानवीय एनजीटी के आदेश का पालन हो सके। श्रीमती पारूल भदोरिया, रिटेनर, सी-609, यूरीआई लॉयर्स चैम्बर, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया मानवीय एनजीटी से उक्त प्रकरण से संबंधी पिटीशन प्राप्त कर प्रभारी अधिकारी व मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

R/18/12 (2)

Amfani
WA(2)
S.V.C(6)

18/12

(आर.एस.कोरी)

डायरेक्टर पर्यावरण(विधि)

क्र.सं	स्थान का नाम	अक्षांश - डी	अक्षांश - एम	अक्षांश - एम	देशांतर - डी	देशांतर - एम	देशांतर - एम	अक्षांश - डीडी	देशांतर - डीडी
107	केसाउलि	24	33	58.973	82	19	39.34	24.56638	82.32759
108	ताराखिया	24	33	18.24	82	37	25.65	24.55507	82.62379
109	फुलकेश	24	31	28.72	82	28	59.9	24.52464	82.48331
110	दीघर	24	35	36.8	82	43	2.08	24.59356	82.71724
111	बदगादा	24	33	55.62	82	41	14.95	24.56545	82.68749
112	दमगडी	24	33	40.84	82	14	15.62	24.56134	82.23767
113	खदबड़ा	24	30	9.65	82	3	34.68	24.50268	82.05963
114	केसोली	24	34	3.82	82	16	57.89	24.56773	82.28275
115	कोतदर कला	24	28	7.27	81	56	47.7	24.46869	81.94658
116	कोतदर खुर्द	24	28	4.9	81	57	42.08	24.46803	81.96169
117	कथोताहा	24	24	35.73	81	42	28.91	24.40993	81.70803
118	भेलकी कला	24	25	56.504	81	46	23.811	24.43236	81.77328
119	गरहारा	24	16	25.45	81	22	59.818	24.27374	81.38328
120	हरियारी	24	11	45.316	81	20	37.057	24.19592	81.34363
121	मरसरहा	24	29	40.488	82	3	17.583	24.49458	82.05488
122	राजाबार	24	34	15.889	82	20	9.808	24.57108	82.33606

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान.-

1. बैठकों की संख्या और दिनांक।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली क्रियाकलापों की संविधा के मामलों का सारांश। ब्यौरों को पृथक् उपाबंध के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश।
8. महत्ता का कोई अन्य विषय।

[फा.सं. 25/62/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2016

S.O.4030(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 1780 (E), dated 30th June, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And Whereas, no objections and suggestions received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

And Whereas, the Son Gharial Wildlife Sanctuary is located in Sidhi, Singrauli, Satna and Shahdol Districts of Madhya Pradesh and it is spread over 209 kilometer of length and 200 meters width on both river banks of Son Gopad and Banas Rivers;

And Whereas, the Wildlife Sanctuary falls in the arid zone and supports many species of fishes, amphibians, reptiles and birds and important aquatic fauna of the Sanctuary include Gharial (*Gavialis gangeticus*), Mugger (*Crocodylus palustris*), and turtles (*Testudines sp.*);

And Whereas, the major aquatic and semi aquatic vegetation found in the sanctuary includes *Hydrilla*, *Vallisnaria*, *Potamogeton*, *Nitella*, *Chara*, *Typha* and other species;

And Whereas, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Son Gharial Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

Now Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area to an extent of one kilometer from the boundary of the Son Gharial Wildlife Sanctuary, in the State of Madhya Pradesh as the Son Gharial Wildlife Sanctuary Eco-sensitive zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone- (1) The extent of Eco-sensitive Zone is one kilometer from the boundary of the Son Gharial Wildlife Sanctuary. The area of Eco-sensitive Zone is 424 square kilo meters.

(2) The map of Eco sensitive Zone, Co-ordinates of Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure I**.

(3) The list of 122 villages falling within Eco-sensitive Zone along with latitudes and longitudes is appended as **Annexure II**.

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- (i) Environment,
- (ii) Forests,
- (iii) Urban Development,
- (iv) Tourism,
- (v) Municipal,
- (vi) Revenue,
- (vii) Agriculture
- (viii) Madhya Pradesh State Pollution Control Board,
- (ix) Irrigation
- (x) Public Works Department

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(18)

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of Forest, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) The State Governments of Madhya Pradesh shall prepare separate Zonal Master Plans for area under their jurisdiction.

3. Measures to be taken by State Government.-The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.**- Forest, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 12, 17, 23, 32 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities,
- (ii) Widening and strengthening of existing roads;
- (iii) Small scale industries not causing pollution;
- (iv) Rainwater harvesting; and
- (v) Cottage industries including village etc

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**- (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall in accordance with the Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forest and Environment of the Madhya Pradesh State Government.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

- (i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
- (ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities;
- (iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs and other natural heritages shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made there under.
- (7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government or Madhya Pradesh State Pollution Control Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made there under.
- (8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.
- (9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under:-
- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 as amended from time to time;
 - (ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;
 - (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;
 - (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.
- (10) **Bio-medical waste.**- The bio-medical waste in the Eco-sensitive Zone shall be disposed of in accordance with the provisions of the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016, as amended from time to time.
- (11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) Industrial Units.-

- (a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the Law.
- (b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted;
- (c) No new explosive godown shall be established within the Eco-sensitive Zone.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.- All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No. (1)	Activity (2)	Remarks (3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited effect except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4 th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21 st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the National Park Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
10.	Goat Farming.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
11.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted

20

21

		<p>within one kilometer of the boundary of the protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities.</p> <p>Provided that, beyond one kilometer or up to the extent of the Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.</p>
12.	Construction activities.	<p>(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of protected area or up to the boundary of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer.</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3:</p> <p>(b) Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per the applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone, construction for <i>bona fide</i> local needs shall be allowed and other construction activities shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
13.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government;</p> <p>(b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p> <p>(c) in case of Reserve Forest and Protected Forest the Working Plan prescriptions shall be followed.</p>
14.	Commercial water resources including ground water harvesting.	<p>(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land;</p> <p>(b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority;</p> <p>(c) no sale of surface water or ground water shall be permitted;</p> <p>(d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.</p>
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(ii) Promote underground cabling
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated as per laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated as per laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per laws.
21.	Discharge of treated effluents in natural	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for

	water bodies or land area.	disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
22.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
23.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
24.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated as per laws.
25.	Air and vehicular pollution	Regulated as per laws.
26.	Drastic Change of Agriculture systems	Regulated as per laws.
27.	Trenching ground.	No new trenching shall be established. However, existing trenching ground will be operated subject to the condition that no open burning will be allowed.
28.	Use of polythene bags by shopkeepers.	Regulated as per laws.
29.	Solid Waste management.	Regulated as per laws.
30.	Eco-tourism activities.	Regulated as per laws.
Promoted Activity		
31.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming.	Permitted as per laws.
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy sources	Bio gas, solar light etc to be promoted
37.	Agro forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Skill development.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

- | | | |
|---|---|----------|
| (i) Divisional Commissioner, Rewa | - | Chairman |
| (ii) One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case | - | Member |
| (iii) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of three years in each case | - | Member |
| (iv) District Collector, Sidhi | - | Member |
| (v) District Collector, Singrauli | - | Member |
| (vi) District Collector, Satna | - | Member |
| (vii) District Collector, Shahdol | - | Member |
| (viii) Superintending Engineer, Public Works Department, Singrauli | - | Member |
| (ix) Superintending Engineer, Public Health Engineering, Singrauli | - | Member |


(x) CEO of District Panchayat Singrauli	-	Member
(xi) Representative of the Town and Country Planning Department	-	Member
(xii) Representative of Madhya Pradesh Pollution Control Board	-	Member
(xiv) Member of State Bio Diversity Board	-	Member
(xv) Field Director, Sanjay Tiger Reserve, Sidhi	-	Member-Secretary

Terms of Reference.-

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.
 - (2) The tenure of the Committee shall be three years.
 - (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
 - (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
 - (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forest shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
 - (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
 - (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure III**.
 - (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.
6. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.
7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

Annexure I

Map of the Eco-sensitive Zone



25

Coordinates of Son Ghariyal Wildlife Sanctuary		
	Longitude	Latitude
A	82° 44'47.131"E	24° 36'46.069"N
B	82° 44'50.876"E	24° 36'7.438"N
C	81° 14'59.978"E	24° 9'45.640"N
D	81° 14'59.978"E	24° 9'56.385"N

Coordinates of Eco Sensitive Zone of Son Ghariyal Wildlife Sanctuary		
	Longitude	Latitude
A1	82° 44'51.175"E	24° 37'19.269"N
B1	82° 45'34.613"E	24° 36'2.146"N
C1	81° 14'55.232"E	24° 9'13.446"N
D1	81° 14'24.569"E	24° 9'48.529"N

Annexure II

List of villages with Co-ordinates falling within the Eco-sensitive zone

S.N.	Name of Place	Late_D	Late_M	Late_S	Long_D	Long_M	Long_S	Late_DD	Long_DD
1	Parsili	24	10	21.73	81	31	26.94	24.1727	81.52415
2	Chamaradol	24	8	19.2	81	31	12	24.13867	81.52
3	Khari	24	10	10.76	81	28	8.7	24.16966	81.46908
4	Naudhiya	24	11	10.76	81	29	57.6	24.18632	81.49933
5	Ghoghi	24	13	8.8	81	30	7.52	24.21911	81.50209
6	Sajaha	24	19	58.04	81	32	6.04	24.33279	81.53501
7	Khatai	24	31	30.47	82	33	23.11	24.52513	82.55642
8	Gangi	24	31	9.71	82	29	58.46	24.51936	82.49957
9	Khaira	24	31	55.52	82	27	32.58	24.53209	82.45905
10	Tariha	24	28	51.93	81	59	20.2	24.48109	81.98894
11	Sarra	24	28	24.021	81	42	31.623	24.47334	81.70878
12	Duara	24	26	9.768	81	43	51.2	24.43605	81.73089
13	Pawa	24	27	0.764	81	45	35.107	24.45021	81.75975
14	Dharauli Khurd	24	32	3.22	82	26	4.72	24.53423	82.43464
15	Lilhara	24	31	59.45	82	24	45.67	24.53318	82.41269
16	Parsauna	24	33	76	82	23	47.79	24.57111	82.39661
17	Shikarganj	24	17	8.207	81	26	36.579	24.28561	81.44349
18	Jhala	24	20	32.169	81	32	46.16	24.34227	81.54616

26

S.N.	Name of Place	Late_D	Late_M	Late_S	Long_D	Long_M	Long_S	Late_DD	Long_DD
19	Rajghat	24	34	34.58	82	23	38.43	24.57627	82.39401
20	Khairpur	24	33	54.549	82	22	13.857	24.56515	82.37052
21	Kunjhun Khurd	24	30	27.53	82	11	11.16	24.50765	82.18643
22	Kunjhun Kala	24	30	36.175	82	11	13.074	24.51005	82.18697
23	Atraila	24	30	37.13	82	7	25.53	24.51031	82.12376
24	Jokaha	24	30	54.109	82	7	12.94	24.51503	82.12026
25	Tilai	24	29	30.134	82	6	5.686	24.4917	82.10158
26	Panwar	24	34	13.355	82	39	37.466	24.57038	82.66041
27	Gadhawa	24	35	33.63	82	40	41.54	24.59268	82.67821
28	Baghor	24	33	20.74	82	18	40.56	24.55576	82.31127
29	Madariya	24	32	8.94	82	17	46.06	24.53582	82.29613
30	Kubari	24	31	50.47	81	59	44.52	24.53069	81.9957
31	Bhitari	24	26	31.11	81	49	10.51	24.44198	81.81959
32	Dithaura	24	20	26.36	81	34	24	24.34066	81.57333
33	Ghughata	24	19	13.35	81	31	26.38	24.32038	81.52399
34	Chandreh	24	18	1.11	81	30	0	24.30031	81.5
35	Durgapur	24	15	23.99	81	27	26.46	24.25666	81.45735
36	Kuan	24	13	20.61	81	21	33.17	24.22239	81.35921
37	Majhatolwa	24	13	49.21	81	21	57.7	24.23034	81.36603
38	Baghard Dhabaiya	24	16	26.6	81	26	9.41	24.27406	81.43595
39	Gujred	24	18	23.52	81	31	56.93	24.30653	81.53248
40	Chandaini	24	29	56.85	81	49	2.2	24.49913	81.81728
41	Deoghata	24	26	29.45	81	54	5.05	24.44151	81.9014
42	Tariha	24	28	54.13	81	59	21.27	24.4817	81.98924
43	Hanumangarh	24	22	16.81	81	38	30.62	24.37134	81.64184
44	Khairi	24	18	49.81	81	30	26.65	24.31384	81.5074
45	Sajaha	24	19	59.58	81	32	5.22	24.33322	81.53478
46	Akauri	24	23	15.47	81	41	46.2	24.38763	81.69617
47	Nakjharkhurd	24	32	2.91	82	13	52.14	24.53414	82.23115
48	Kekrai	24	34	31.88	82	40	1.42	24.57552	82.66706
49	Ghoghara	24	32	33.22	82	39	12.75	24.54256	82.65354
50	Bardi	24	32	28.95	82	22	14.55	24.54138	82.37071
51	Lauar Paipkhar	24	31	41.68	82	19	33.95	24.52824	82.3261
52	Lauar Nankar	24	32	25.18	82	19	53.88	24.54033	82.33163
53	Khuteli	24	31	21.93	82	16	28.45	24.52276	82.27457
54	Nakjhar kalan	24	30	58.11	82	12	3.69	24.51614	82.20103
55	Lilwar	24	33	5.16	82	11	24.29	24.55143	82.19008
56	Rampur	24	33	8.7	82	12	43.38	24.55242	82.21205
57	Amadei	24	31	24.44	82	8	53.57	24.52346	82.14821
58	Ramnagar Khurd	24	31	13.8	82	10	26.43	24.5205	82.17401
59	Baliyar	24	29	11.16	82	3	30.48	24.48643	82.05847
60	Ramdih	24	28	37.69	82	10	18.36	24.47714	82.17177
61	Khetauhi	24	28	16.32	81	59	44.91	24.4712	81.99581
62	Chamrauha	24	31	7.5	82	8	9.6	24.51875	82.136

S.N.	Name of Place	Late_D	Late_M	Late_S	Long_D	Long_M	Long_S	Late_DD	Long_DD
63	Chhitawalkhurd	24	32	58.74	82	36	13.41	24.54965	82.60373
64	Patpara	24	28	9.03	81	54	15.99	24.46918	81.90444
65	Salaiya	24	28	3.18	81	56	22.79	24.46755	81.93966
66	Tamai	24	36	50.23	82	39	52.54	24.61395	82.66459
67	Kajardah	24	33	10.65	82	20	32.73	24.55296	82.34243
68	Dhobauhi	24	33	0.17	82	17	18	24.55005	82.28833
69	Sattiha	24	33	50.66	82	14	26.22	24.56407	82.24062
70	Sihawal	24	33	26.73	82	13	46.51	24.55743	82.22959
71	Dheku	24	33	34.09	82	19	59.48	24.55947	82.33319
72	Chikni	24	30	51.61	82	30	57.49	24.51434	82.51597
73	Rehada	24	32	6.53	82	34	51.05	24.53515	82.58085
74	Hatwa	24	30	15.61	81	52	40.24	24.50434	81.87784
75	Demha	24	26	23.02	81	52	27.72	24.43973	81.87437
76	Rojhauha	24	30	59.052	82	11	42.643	24.5164	82.19518
77	Kukaraon	24	30	44.919	24	30	44.919	24.51248	24.51248
78	Piprohar	24	26	48.77	81	56	52.88	24.44688	81.94802
79	Koldaha	24	24	53.433	81	41	15.972	24.41484	81.68777
80	Mohaniya	24	27	31.846	81	55	50.29	24.45885	81.93064
81	Jhagari	24	19	19.401	81	32	21.389	24.32206	81.53927
82	Umariya	24	29	31.02	82	9	43	24.49195	82.16194
83	Dawa	24	30	5.811	82	0	25.257	24.50161	82.00702
84	Bahera	24	29	42.563	82	1	32.218	24.49516	82.02562
85	Barigawan	24	25	10.955	81	45	6.631	24.41971	81.75184
86	Kurrwah	24	25	33.46	81	49	50.16	24.42596	81.8306
87	Bhelki Khurd	24	25	37.2	81	47	42.22	24.427	81.79506
88	Bholgarh	24	22	52.65	81	39	59.32	24.38129	81.66648
89	Titai	24	30	35.8	82	4	53.69	24.50994	82.08158
90	Thatara	24	35	27.71	82	47	34.65	24.59103	82.79296
91	Chhiwalhawa	24	35	35.41	82	47	16.95	24.59317	82.78804
92	Godgawan	24	37	32.59	82	44	33.58	24.62572	82.74266
93	Kankati	24	19	14.29	81	34	34.27	24.32064	81.57619
94	Bairihai	24	13	47.27	81	28	31.68	24.2298	81.47547
95	Patehra	24	21	55.03	81	32	15.09	24.36529	81.53753
96	Sehuda Viran	24	29	54.27	82	5	32.32	24.49841	82.09231
97	Duraon Viran	24	29	54.83	82	7	25.35	24.49856	82.12371
98	Sarseda	24	33	11.49	82	22	54.45	24.55319	82.38179
99	Dadhiya	24	28	45.85	82	7	20.71	24.4794	82.12242
100	Sariya	24	11	50.6	81	19	54.02	24.19739	81.33167
101	Kaithaha	24	11	45.6	81	18	34.82	24.196	81.30967
102	Hathwar	24	9	34.1	81	29	27.72	24.15947	81.49103
103	Boddiha	24	7	36.33	81	29	17.77	24.12676	81.48827
104	Paipkhara	24	12	38.18	81	21	33.64	24.21061	81.35934
105	Barhai	24	15	34.17	81	28	3.66	24.25949	81.46768
106	Bajriya	24	37	9.854	82	45	47.821	24.6194	82.76328

S.N.	Name of Place	Late_D	Late_M	Late_S	Long_D	Long_M	Long_S	Late_DD	Long_DD
107	Kesauli	24	33	58.973	82	19	39.34	24.56638	82.32759
108	Tarakhiya	24	33	18.24	82	37	25.65	24.55507	82.62379
109	Fulkesh	24	31	28.72	82	28	59.9	24.52464	82.48331
110	Deeghar	24	35	36.8	82	43	2.08	24.59356	82.71724
111	Badgada	24	33	55.62	82	41	14.95	24.56545	82.68749
112	Damgadi	24	33	40.84	82	14	15.62	24.56134	82.23767
113	Khadbada	24	30	9.65	82	3	34.68	24.50268	82.05963
114	Kesauli	24	34	3.82	82	16	57.89	24.56773	82.28275
115	Kotdar Kala	24	28	7.27	81	56	47.7	24.46869	81.94658
116	Kotdar Khurd	24	28	4.9	81	57	42.08	24.46803	81.96169
117	Kathautaha	24	24	35.73	81	42	28.91	24.40993	81.70803
118	Bhelaki kala	24	25	56.504	81	46	23.811	24.43236	81.77328
119	Garhara	24	16	25.45	81	22	59.818	24.27374	81.38328
120	Hariari	24	11	45.316	81	20	37.057	24.19592	81.34363
121	Marsarha	24	29	40.488	82	3	17.583	24.49458	82.05488
122	Rajabar	24	34	15.889	82	20	9.808	24.57108	82.33606


Annexure III

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-




1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

[F.No.25/62/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'



Son Sanctuary & Total Stretch of Son River which is under Son Ghariyal Wildlife Sanctuary & the protected area under it denoted by the purple outline.



GPS Map
Camera Lite

Unnamed Road, Gopalpur, Madhya Pradesh 484776, India




Latitude
24.253971938812665°

Longitude
81.38465117620335°

Local 04:27:17 PM
GMT 10:57:17 AM

Altitude 260 meters
Friday, 22.12.2023

Photographs taken during joint inspection on date 22.12.2023







Photographs taken during joint inspection on date 22.12.2023

Unnamed Road, Goolbu, Vaidyan Prades

Latitude	Longitude
24.253971938812665°	81.33465117620335°
Local 04:27:17 PM	Altitude 260 meters
GMT 10:57:17 AM	Friday, 22.12.2023

Photographs taken during joint inspection on date 22.12.2023



Photographs taken during joint inspection on date 22.12.2023



कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा), जिला शहडोल (म.प्र.)

जयस्तंभ के पास फोन नं 07652-241700 E-mail : dmshahdol@nic.in

क्र० /19/खनिज/2023/ 645

शहडोल, दिनांक 14/09/2023

प्रति,

संचालक,
संजय टाईगर रिजर्व,
सीधी, जिला सीधी (म०प्र०)

विषय - सोन घडियाल क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम के संबंध में।

-----000-----

विषयान्तर्गत लेख है कि तहसील ब्यौहारी में पदस्थ खनि निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील ब्यौहारी के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुड़वा, झिरिया, सुखाड़, सथनी आदि सोन घडियाल क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन/परिवहन हो रहा है, जबकि आपका अधीनस्थ अमला अभ्यारण्य क्षेत्र में कार्यरत है। अवैध उत्खानकर्ताओं द्वारा जिला डिण्डौरी के रेत ठेकेदार की ई०टी०पी० का उपयोग रेत परिवहन में किया जाता है। अभ्यारण्य क्षेत्र होने के कारण से राजस्व अमला एवं खनिज अमले से कार्यवाही कराने में वैधानिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

कृपया अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें ताकि शासन को रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन से होने वाली राजस्व हानि से बचाया जा सके।

Vas
(बंदना वैद्य)
कलेक्टर,
जिला शहडोल (म.प्र.)
शहडोल, दिनांक 14/09/2023

पृ०क्र० /19/खनिज/2023/ 645
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, सीधी जिला सीधी (म०प्र०)
2. कलेक्टर, डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी (म०प्र०)

Vas
कलेक्टर,
जिला शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल म.प्र.

38

क्रमांक 19/खनिज/2023/695

शहडोल दिनांक-06.10.23

प्रति,

Annexure -06

1. पुलिस अधीक्षक,
जिला शहडोल म.प्र।
2. वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण/उत्तर
जिला शहडोल म.प्र।
3. संचालक, संजय टाईगर रिजर्व (सोन घडियाल),
जिला सीधी म.प्र.
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व),
अनुभाग समस्त जिला शहडोल म.प्र।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहडोल म.प्र।
6. जिला परिवहन, अधिकारी जिला शहडोल म.प्र।

विषय:- टास्क फोर्स समिति की बैठक बावत।


-----00-----

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक दिनांक 09.10.2023 को टी.एल.मीटिंग के पश्चात कलेक्टर सभागार में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। अतः आप उक्त बैठक में उपस्थित रहने का कष्ट करें। बैठक में निम्न एजेण्डा पर चर्चा होगी।

//एजेण्डा//

1. शहडोल जिले में रेत का अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराना।
2. जिले में स्वीकृत रेत खदानों के आस-पास अवैध उत्खनन की लगातार शिकायतें प्राप्त होने पर तत्काल कार्यवाही करना।
3. खनि निर्धारित क्षेत्रों के आस-पास व्यापक प्रचार प्रसार के माध्यम से आमजन को अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर नियंत्रण किये जाने हेतु अवगत कराने की दशा में व उन्हें अभियान से जोड़ने हेतु समुचित कार्यवाही की जाना।
4. वन क्षेत्र/सोन घडियाल अभ्यारण्य क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन/उत्खनन पाये जाने पर वन विभाग अपने स्तर पर कार्यवाही करें तथा यदि संभव हो तब यथा समय पर वन क्षेत्र से संभावित परिवहन/उत्खनन के नियंत्रण हेतु वन, राजस्व एवं खनिज अमले के सहयोग से कार्यवाही करना।
5. परिवहन अधिकारी जिला शहडोल द्वारा जिले में किये जा रहे खनिज के ओवर लोड परिवहन, भार क्षमता से तथा बिना नम्बर के वाहन पाये जाने नियमानुसार कार्यवाही करना।
6. शहडोल जिले की समस्त रेत की खदानों की समय-समय पर गठित दलों के सहयोग से निगरानी रखना।

नोट: शहडोल जिले की रेत खदानों की ई-निविदा के माध्यम से नीलामी की कार्यवाही प्रचलनशील है।
(कलेक्टर महो. द्वारा अनुमोदित)


खनि अधिकारी 06.10.23
जिला शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल म.प्र.

क्रमांक 19/खनिज/2023/884

शहडोल, दिनांक 22 नवम्बर 2023

प्रति,

संचालक,
संजय टाईगर रिजर्व सीधी (सोन घडियाल),
जिला सीधी म.प्र.

विषय:- सोन घडियाल क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम के संबंध में।

सन्दर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक 19/खनिज/2023/645 शहडोल दिनांक 14.09.2023।

-----00-----

विषयांतर्गत लेख है कि तहसील ब्यौहारी में पदस्थ ब्यौहारी खनि निरीक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील ब्यौहारी के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुडवा, झिरिया, सुखाड़, सथनी आदि सोन घडियाल क्षेत्र से रेत का अवैध उत्खनन/परिवहन हो रहा है, जबकि आपका अधीनस्थ अमला अभ्यारण क्षेत्र में कार्यरत है। सोन घडियाल अभ्यारण क्षेत्र होने के कारण से कार्यवाही करने में वैधानिक कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

कृपया अनुरोध है कि उक्त क्षेत्र से होने वाले रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें, ताकि शासन को रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन से होने वाले राजस्व हानि से बचाया जा सके।


खनिज अधिकारी

जिला शहडोल (म.प्र.)

शहडोल, दिनांक 22 नवम्बर 2023

पृ.क्रमांक 19/खनिज/2023/884

प्रतिलिपि :-

कलेक्टर सीधी जिला सीधी म.प्र.।


खनिज अधिकारी

जिला शहडोल (म.प्र.)

0/1

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल म.प्र.

शहडोल, दिनांक 27 नवम्बर 2023

क्रमांक 19/खनिज/2023/887

प्रति,

संचालक,
संजय टाईगर रिजर्व सीधी (सोन घडियाल),
जिला सीधी म.प्र.

विषय:- सोन घडियाल क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम के संबंध में।
सन्दर्भ:- 1. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 19/खनिज/2023/645 शहडोल दिनांक 14.09.2023।
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक 19/खनिज/2023/884 शहडोल दिनांक 22.11.2023।

-----00-----

विषयांतर्गत संदर्भित के संबंध लेख है कि सोन घडियाल अभ्यारण क्षेत्र (सोन नदी) से रेत का अवैध उत्खनन/परिवहन कर तहसील ब्यौहारी के क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बुडवा, झिरिया, सुखाड़, सथनी आदि जगहों भण्डारण किया जाता है। सोन नदी से उत्खनित कर भण्डारित रेत 475 घ.मी. को दिनांक 24.11.2023 एवं 25.11.2023 को खनिज, राजस्व एवं पुलिस बल द्वारा संयुक्त रूप से जप्त किया गया है, दिनांक 25.11.2023 को सामान्य निरीक्षण हेतु राजस्व अमलें को अवैध उत्खनन/भण्डारण तो नहीं हो रहा है के संबंध में जानकारी हेतु भेजा गया था, उसी दरमियान अवैध परिवहनकर्ता ट्रैक्टर चालक द्वारा पटवारी के उपर ट्रैक्टर चढा कर हत्या कर दी गई। चूकि सोन घडियाल अभ्यारण क्षेत्र आपके अधीनस्थ आता है, अतः अवैध उत्खननकर्ताओं पर प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो सके।

Val
कलेक्टर
जिला शहडोल (म.प्र.)
शहडोल, दिनांक 27 नवम्बर 2023

पृ.क्रमांक 19/खनिज/2023/887
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, सीधी जिला सीधी म.प्र.।
2. कलेक्टर, सतना जिला सतना म.प्र.।

Val
कलेक्टर
जिला शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.)

ब्यौहारी, दिनांक 06 दिसम्बर, 2023



(दण्ड प्रक्रिया की संहिता धारा-144 के अंतर्गत)

क्रमांक R.47/प्रता0/का.प्र./2023/ जिला खनिज अधिकारी, जिला शहडोल के पत्र क्रमांक 19/खनिज/2023/906 द्वारा जिला शहडोल के ब्यौहारी तहसील अंतर्गत सोन एवं बनास नदी से रेत खनन की शिकायतें प्राप्त होने से अवैध उत्खनन/भण्डारण/परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। आम नागरिक गण तहसील ब्यौहारी द्वारा बनास नदी पर स्थित ग्राम बरहाई पन्नाघाट व बंधवाटोला घाट, ग्राम सथनी गलदहा घाट व नगदहा घाट व सोन नदी पर स्थित ग्राम गोपालपुर, ग्राम झिरिया से रेत माफिया द्वारा रेत के अवैध उत्खनन पर रोक लगाये जाने की मांग की गई है। श्री राजपूत करणी सेना द्वारा जिले में हो रहे रेत उत्खनन के अवैध कारोबार पर रोक लगाने व सख्त कार्यवाही किये जाने हेतु शापन प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 25.11.2023 को तहसील ब्यौहारी के ग्राम गोपालपुर से अवैध रेत उत्खनन व परिवहन की रोकथाम करने गये पटवारी श्री प्रसन्न सिंह की अवैध रेत परिवहन करने वाले असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रैक्टर से कुचलकर जघन्य हत्या करने की घटना को अंजाम दिया गया है। शहडोल जिलान्तर्गत विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से समय-समय पर समाचार प्रकाशित किये गये हैं। शहडोल जिले में खनिज विभाग द्वारा रेत का टेण्डर न होने से असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रेत उत्खनन कर शांति भंग करने की प्रबल संभावना को दृष्टिगत रखते हुये और अत्यावश्यक परिस्थिति में सार्वजनिक रूप से कारण बताने हेतु जनसाधारण को पूर्व सूचना देकर आपत्ति सुनने का अवसर नहीं है। जिला शहडोल में रेत उत्खनन का नवीन टेण्डर होने तक परिशान्ति बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा लागू किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं नरेन्द्र सिंह धुर्वे (एस0डी0एम0) मजिस्ट्रेट ब्यौहारी जिला- शहडोल (म.प्र.) समस्त जनसाधारण की सुविधा के लिए रेत माफिया/असामाजिक तत्वों के विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला-शहडोल अन्तर्गत अवैध रेत उत्खनन, परिवहन व भण्डारण के चिन्हांकित निम्नलिखित स्थलों पर प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा रेत उत्खनन के नवीन टेण्डर अथवा आगामी शासनादेश तक के लिए लागू करता हूँ :-

1. जिला शहडोल, तहसील ब्यौहारी अन्तर्गत बनास नदी पर स्थित ग्राम बरहाई पन्नाघाट व बंधवा टोला घाट, ग्राम सथनी गलदहा घाट व नगदहा घाट, पपौढ़ नाला पर स्थित ग्राम पपौढ़, समधिन नदी पर स्थित ग्राम खामडाढ़ से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
2. जिला शहडोल, तहसील ब्यौहारी अन्तर्गत सोन नदी पर स्थित ग्राम गोपालपुर, ग्राम झिरिया व सुखाढ में सोन नदी से रेत का अवैध उत्खनन, परिवहन व भण्डारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

यह आदेश भी देता हूँ कि इस आदेश की सूचना सर्वसाधारण जनता को पूरे क्षेत्र में ध्वनि विस्तार यंत्रों द्वारा दी जावे एवं आदेश की एक-एक प्रति इस कार्यालय एवं खनिज कार्यालय के नोटिस बोर्ड, पुलिस थानों एवं अन्य सहगोचर, सार्वजनिक स्थल पर चस्पा किया जावे। समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद, तहसीलादार आदेश की प्रति सहज दृष्टिगोचर स्थल पर चस्पा करें।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 06/12/ 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मुहर से जारी किया गया। .i.

अनुविभागीय अधिकारी
(खनिज)
ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)

(नरेन्द्र सिंह धुर्वे)
 अनुविभागीय दण्डाधिकारी
 एवं अनुभागीय मजिस्ट्रेट ब्यौहारी
 जिला शहडोल (म.प्र.)
 शहडोल, दिनांक 06 दिसम्बर, 2023

पृ.क्रमांक- प्रवा0/का.व्य. /2023/847
 प्रतिलिपि:-

- 1- कमिश्नर शहडोल संभाग, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।।
- 2- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल रेंज, शहडोल (म.प्र.)।
- 3- कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला शहडोल की ओर सूचनार्थ।
- 4- उप पुलिस महानिरीक्षक, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, शहडोल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 6- अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिला शहडोल (म.प्र.)।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला शहडोल (म.प्र.)।
- 8- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल (म.प्र.)।
- 9- अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)।
- 10- तहसीलदार/कार्यपालिक मजिस्ट्रेट (समस्त) जिला शहडोल (म.प्र.)।
- 11- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत ब्यौहारी जिला शहडोल (म.प्र.)।
- 12- मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत (समस्त) जिला शहडोल।

(नरेन्द्र सिंह धुर्वे)
 अनुविभागीय दण्डाधिकारी
 एवं अनुभागीय मजिस्ट्रेट ब्यौहारी
 जिला शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर (खनिज - शाखा) जिला शहडोल म.प्र.

क्रमांक/19/खनिज/2023/917

शहडोल, दिनांक 08 दिसम्बर 2023

प्रति,

क्षेत्रीय प्रमुख

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म

क्षेत्रीय कार्यालय रीवा जिला रीवा म.प्र.

विषय:- अवैध उत्खनन/परिवहन के रोकथाम हेतु उडनदस्ता प्रभारी रीवा/शहडोल द्वारा सतत निगरानी किये जाने बाबत।

-----0000-----

विषयांगत के संबंध में लेख है कि जिले में तहसील ब्यौहारी अन्तर्गत ग्राम बुडवा एवं आसपास के क्षेत्रों में रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध अभियान के तौर पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। जिले में रेत के अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारण में असामाजिक तत्व लगातार सक्रिय हो रहे हैं, तथा जिले में रेत खदान की निविदा की कार्यवाही प्रचलनशील होने के कारण रेत के अवैध उत्खनन की अत्याधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है। तहसील ब्यौहारी अन्तर्गत ग्राम बुडवा में लगभग 15 दिवस के लिये ब्यौहारी में मुख्यालय बनाकर अवैध उत्खनन/परिवहन/भण्डारणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु उडनदस्ता प्रभारी रीवा/शहडोल को निर्देशित करने का कष्ट करे।



कलेक्टर,
जिला शहडोल (म.प्र.)

शहडोल, दिनांक 08/12/2023

पृ. क्रमांक/खनिज/2023/917

प्रतिलिपि:-

1. कमिश्नर शहडोल संभाग शहडोल म.प्र.।
2. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म विभाग भोपाल म.प्र.।



कलेक्टर,
जिला शहडोल (म.प्र.)

6/2

कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला शहडोल म.प्र. Annexure-11

//आदेश//

शहडोल, दिनांक 09 दिसम्बर 2023

(41)

क्रमांक /खनिज/2023 / 218 जिले में तहसील ब्यौहारी अन्तर्गत खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन /ओकर लोडिंग की रोकथाम तथा सतत निगरानी रखने हेतु म.प्र.खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 के अध्याय -तीन के नियम 7 के तहत निम्नानुसार चिन्हित स्थल पर अस्थाई खनिज जॉच नाका स्थापित किया जाता है तथा जॉच नाके पर अधिकारी/कर्मचारियों की ड्युटी उनके नाम सम्मुख समय सारिणी अनुसार अगामी आदेश तक के लिये लगाई जाती है:-

क्र.	नाका स्थल का नाम	नाका प्रभारी का नाम	कर्मचारी का नाम/पदनाम	मोबाईल नम्बर	समय सारिणी	सप्ताह के दिवस	
1	सुखाड सोन नदी पुल के पहले	तहसीलदार /नायब तहसीलदार ब्यौहारी	सुधाकर सिंह (पटवारी)	9329303367	प्रातः 6 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	सोमवार से रविवार	
			दिलीप गुप्ता (पटवारी)	9685548203			
			मृगेन्द्र सिंह (होमगार्ड सैनिक खनिज)	9340759076			
			संबंधित थाना के पुलिस बल				
			प्रसून मिश्रा (पटवारी)	8602718330	दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक		
			कल्याण सिंह (पटवारी)	9329308306			
			चंद्रिका नामदेव (होमगार्ड सैनिक खनिज)	9630896532			
			संबंधित थाना के पुलिस बल				
			आनन्द तिवारी (पटवारी)	9329308232	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6 बजे तक		
			शैलेन्द्र साकेत (पटवारी)	9893921195			
			शैलेन्द्र सिंह (होमगार्ड सैनिक खनिज)	8770480807			
			संबंधित थाना के पुलिस बल				
2	बैरिहाई बनास नदी पुल के पहले	खनि निरीक्षक/ खनि सर्वेयर	मनीष तिवारी (पटवारी)	9424333529	प्रातः 6 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक	सोमवार से रविवार	
			राजदीप सिंह (पटवारी)	8989879210			
			राजकुमार बैगा सिपाही (खनिज विभाग)	8770168357			
			संबंधित थाना के पुलिस बल				
			बृजराज सिंह (पटवारी)	9329303359	दोपहर 2:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक		
			दिनेश यादव (पटवारी)	9329303440			
			रामपाल सिंह (पटवारी)	6266126064			
			संबंधित थाना के पुलिस बल				
			सुर्देशन सिंह (पटवारी)	7587974116	रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6 बजे तक		
			भारत सिंह (पटवारी)	9285017969			
संबंधित थाना के पुलिस बल							

उपरोक्तानुसार दल जॉच के दौरान खनिज का अवैध परिवहन/ओकरलोड (अभिवहन पारपत्र में अंकित मात्रा से अधिक मात्रा) पाये जाने पर संबंधित वाहन को पुलिस बल की सहायता से नजदीकी थाने में सुरक्षार्थ रखेगें एवं तत्काल खनि निरीक्षक जिला शहडोल के मोबाईल नम्बर 9340455205 पर सूचना दी जावेगी।

खनि निरीक्षक जिला शहडोल अवैध परिवहन/ओकरलोड वाहनो पर नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर प्रतिवेदन रेंगे एवं दल प्रभारी संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी संधारित कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगें।

(यह आदेश दिनांक 11-12-2023 से 06:00 बजे से प्रभावशील होगा।)

जिला अधिकारी एवं तहसीलदार
शहडोल

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल म.प्र. की ओर सूचनार्थ ।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला शहडोल म.प्र. की ओर समय-सारिणी अनुसार सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किये जाने हेतु सूचनार्थ ।
3. संचालक, संजय टाईगर रिजर्व (अभ्यारण सोन घडियाल) की ओर समय-सारिणी अनुसार वनकर्मी को उपलब्ध कराये जाने हेतु संबंधितों को निर्देशित किये जाने हेतु सूचनार्थ ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग ब्यौहारी जिला शहडोल म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. खनि अधिकारी जिला शहडोल म.प्र. की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. तहसीलदार तहसील ब्यौहारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग जिला शहडोल की ओर चिन्हित स्थान पर बैरियर लगाने की तथा कैम्प हेतु टीन शेड की व्यवस्था किये जाने हेतु ।
9. संबंधित कार्यालय प्रमुख की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की ड्युटी आर्डर तामील कराना सुनिश्चित करें ।
10. संबंधित श्री-----की ओर पालनार्थ ।


 (अधीक्षक पुलिस) जिला शहडोल (म.प्र.)
 01/

प्रति

श्रीमान कलेक्टर महोदय
खनि शाखा जिला - शहडोल (म.प्र.)विषय:- ट्रैक्टर क्र MP54A2595, ट्रॉली क्र. निल के द्वारा रेत खनिज का परिवहन किए जाने के संबंध में जांच प्रतिवेदन।
संदर्भ:- थाना देवलौद के पत्र. क्र. 1151, दिनांक 31.12.2023 के द्वारा प्रेषित प्रकरण अनुसार।

-----000-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भ अनुसार दिनांक 25.11.2023 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्य ब्योहारी के आदेश से ग्राम गोपालपुर, ब्योहारी, शहडोल में अवैध रेत का उत्खनन रोकने गए राजस्य टीम जिसमें प्रसन्न सिंह, कामतानाथ मिश्रा, कल्याण सिंह, वीरेश पाठक (सभी पटवारी) शासकीय वाहन से सॉन नदी के पास एक ट्रैक्टर MP54A2595, ट्रॉली क्र. निल को रेत के अवैध परिवहन में पाया जाकर रोकने का प्रयास किया, जिसमें पटवारी प्रसन्न सिंह को जानबुझकर, ट्रैक्टर चालक के द्वारा ट्रैक्टर चड़ाकर मार दिया गया, एवं ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर भाग गया। उक्त अपराध में थाना देवलौद के द्वारा प्रकरण पंजीबद्धकर, संबंधितों से वाहन जप्त कर, अवैध रेत परिवहन से प्रकरण के सम्बद्ध होने से, खनिज कार्यालय की ओर प्रकरण प्रेषित किया गया। उक्त प्रकरण में बिना वैध अनुमति / प्राधिकार आदेश के खनिज रेत परिवहन, करना/कराना म. प्र. खनिज(अवैध खनन, परिवहन, भंडारण का निवारण) नियम 2022 के नियम 19के प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण आकलन प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1	वाहन चालक का नाम	शुभम विश्वकर्मा पिता रामप्रसाद विश्वकर्मा, नि. कुआ, रामनगर, जिला मैहर
2	वाहन मालिक का नाम	सोनू उर्फ नारायण सिंह पिता लालमन सिंह, नि/कुचरी, थाना रामनगर, जिला मैहर
3	घटना दिनांक, स्थल एवं समय	घटना दिनांक 25.11.2023, स्थल- ग्राम गोपालपुर, ब्योहारी, शहडोल
4	वाहन क्र. एवं प्रकार	ट्रैक्टर क्र MP54A2595, ट्रॉली क्र. निल
5	अवैध परिवहन किए जा रहे खनिज/उत्पाद की मात्रा	रेत, 3 घन मी.
6	अवैध परिवहन किए जा रहे खनिज/उत्पाद की रॉयल्टी	3 घन मी. X 125 रुपए प्रति घन मी. = 375 रुपए
7	जांच दौरान प्रस्तुत / अवलोकन किए गए अभिलेख	FIR, जपतीनामा, प्रतिवेदन।
8	अवैध परिवहन के प्रकरणों में शास्ति एवं प्रशमन का प्रावधान :-	
क	अवैध परिवहन के प्रकरणों में खनिज की रॉयल्टी का 15 गुना अर्थशास्ति की राशि	5625 रुपए
ख	पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि:- अवैध रेत परिवहन में संलिप्त वाहन ट्रैक्टर - ट्रॉली होने से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि	25,000/- होगी
ग	अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की कुल राशि	अवैध रेत परिवहन के प्रकरण में अनावेदक के विरुद्ध अर्थशास्ति की राशि 5625 रुपए एवं 25,000 रुपए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित होगी। इस प्रकार कुल अधिरोपित राशि 30,625 रुपए है।
घ	प्रशमन की दशा में प्रशमन शुल्क	1,000 रुपए
ङ	कुल जमा करने योग्य राशि	31,625 रुपए

अन: उक्तानुसार प्रकरण में प्रशमन शुल्क 1000 रुपए जमा कराए जाने के पश्चात खनिज की रॉयल्टी का 15 गुना अर्थदण्ड की राशि 5625 रुपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति की राशि 25,000 रुपए जमा कराया जाना प्रस्तावित है।

अथवा

प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रशमन नहीं किए जाने की स्थिति में नियम 19(4) एवं (5) अनुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।
प्रतिवेदन अंतिम कार्यवाही हेतु सावर प्रेषित।

प्रभात कुमार पट्टा
खनि निरीक्षक
शहडोल

कार्यालय कलेक्टर(खनिज-शाखा) जिला शहडोल म.प्र.

क्रमांक 19/ खनिज/2023/ 947
प्रति,

शहडोल, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र.प्र.नि.बो.शहडोल
जिला शहडोल मप्र

विषय:- तहसील ब्यौहारी अन्तर्गत बुडवा एवं आसपास के क्षेत्रों में की गई कार्यवाही की जानकारी।

-----0000-----

तहसील ब्यौहारी अन्तर्गत बुडवा एवं आसपास के क्षेत्रों में खनिज रेत के अवैध उत्खनन परिवहन भण्डारण पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	अवैध परिवहन/भण्डारण कताओं के नाम	वाहन/ खनिज रेत मात्रा (घ.मी.) का नाम	प्रस्तावित शास्ति	प्रस्तावित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि	जमा राशि	रिमांक
1.	मोहित जायसवाल	ट्रक	29,275	1,07,714	136989	शास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि की संपूर्ण राशि जमा कराई जा चुकी है।
2.	नीरजकांत द्विवेदी	ट्रक	53500	2,00,000	253500	
3.	नीरजकांत द्विवेदी	ट्रक	68500	4,00,000	468500	
4.	योगेश शर्मा	ट्रैक्टर	12250	25000	37250	
5.	रावेन्द्र कुमार बैस	ट्रैक्टर	12250	25000	37250	

अतः जानकारी सम्प्रेषित है।

29.12.23
 खनिज अधिकारी
 खनिज अधिकारी
 जिला शहडोल म.प्र.

कार्यालय तहसीलदार तहसील ब्यौहारी जिला - शहडोल (म०प्र०)

//आदेश//

ब्यौहारी दिनांक:- 27/11/2023

क्र०/आ०का०/पर०/2023/537 श्री प्रसान सिंह पटवारी तहसील कार्यालय ब्यौहारी का दिनांक 25/11/2023 को आकस्मिक निधन होने से उनके वैध वारिस उत्तराधिकारी श्रीमती गुंजा सिंह को अनुग्रह राशि 50,000.00 (पचास हजार) रूपये मात्र नीचे अंकित विवरण के अनुसार आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र०	मृतक का नाम	उत्तराधिकारी वैध वारिस का नाम	आधार कार्ड नंबर	खाता क्र०	आईएफसी कोड	स्वीकृति राशि
1	श्री प्रसान सिंह पटवारी	श्रीमती गुंजा सिंह	600511849154	41569569826	SBIN0000468	50,000.00

शब्दों में:- पचास हजार रूपये मात्र।

अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित

तहसीलदार
तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म०प्र०)
ब्यौहारी दिनांक:- 27/11/2023

प०क्र०/आ०का०/ 2023/537

प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 2- कलेक्टर भू-अभिलेख जिला-शहडोल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 3- जिला कोषालय अधिकारी जिला-शहडोल की ओर सूचनार्थ।
- 4- देयक लिपिक तहसील कार्यालय ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ।
- 5- संबंधित जन श्रीमती गुंजा सिंह ग्राम पोस्ट बरा तहसील सेमरिया जिला-रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

तहसीलदार
तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म०प्र०)
शहडोल (म०प्र०)

कार्यालय तहसीलदार तहसील ब्यौहारी जिला - शहडोल (म०प्र०)

अर्जित अवकाश का समर्पण आदेश

ब्यौहारी दिनांक - 28/12/2023
क्र०/आ०का०/पट०स्था०/2023/... श्री प्रसन्न सिंह पटवारी तह. कार्यालय ब्यौहारी जिला शहडोल (म०प्र०) का मृत्यु दिनांक 25/11/2023 को है। प्रमुख सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र० एफ-6-1/2018/नियम/चार/ भोपाल दिनांक 08/03/2023 में दिये गये निर्देशानुसार सेवानिवृत्त/मृत्यु दिनांक को देय अर्जित अवकाश की गणना कर समर्पित अवकाश की पात्रता निर्धारित की गई है।

श्री प्रसन्न सिंह पटवारी का मृत्यु दिनांक 25/11/2023 को कुल सेवा अवधि 05 वर्ष 03 माह का है। अवकाश अर्जित करने की अधिकतम सीमा 300 दिवस निर्धारित है। सेवा पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार नियुक्ति दिनांक 06/08/2018 को एवं मृत्यु दिनांक 25/11/2023 को हो जाने पर कुल 155 दिवस का अवकाश अर्जित किया गया है। पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार लेवल-5 के वेतनमान 22100-70000 में वेतन 25600, महगाई भत्ता 42प्रतिशत की दर से 155 दिवस का अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता होने के कारण 155 दिवस का कुल अवकाश वेतन रूपये 132267.00 महगाई भत्ता 42 प्रतिशत के अनुसार रूपये 55552.00 कुल रूपये 187879.00 (शब्दों में- एक लाख सतासी हजार आठ सौ उन्चासी रूपये मात्र) स्वीकृत प्रदान की जाती है।

अतएव 155 दिवस का अवकाश समर्पण एवं भुगतान पृथक मध्यप्रदेश में निम्नानुसार किया जाता है।

क्र०	विवरण	सेवा अवधि	समर्पित अवकाश	मृत्यु दिनांक को मूल वेतन	समर्पित अवकाश वेतन	महगाई भत्ता	योग	रिमार्क
1	एकीकृत मध्यप्रदेश	00वर्ष 00 माह	00 दिवस-00		0	0	0	
2	पृथक मध्यप्रदेश	05 वर्ष 03 माह	155दिवस	25600	132267	55552	187879	
	योग	05 वर्ष 03 माह	155 दिवस		132267	55552	187879	

शब्दों में एक लाख सतासी हजार आठ सौ उन्चासी रूपये मात्र उपरोक्त स्वीकृत अवकाश वेतन की राशि मांग संख्या -06 पेंशन और विविध सामान्य सेवायें लेखा शीर्ष 2071 पेंशन और सेवा हित लाभ 115 छुट्टी नगदीकरण हितलाभ 01 वेतन 00 अन्य भत्ते में विकलनीय होगा।

तहसीलदार
तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म०प्र०)
ब्यौहारी दिनांक- 28/12/2023

पृ०क्र०/आ०का०/पट०-स्था०/ 2023/... प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 2- अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ।
- 3- जिला कोषालय अधिकारी जिला-शहडोल की ओर सूचनार्थ।
- 4- संबंधित जन की उत्तराधिकारी श्रीमती गुंजा सिंह पति स्वर्गीय श्री प्रसन्न सिंह ग्राम बरौ तहसील सेमरिया जिला-रीवा म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
- 5- देयक लिपिक तहसील कार्यालय ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ।

तहसीलदार
तहसील ब्यौहारी जिला-शहडोल (म०प्र०)

कार्यालय तहसीलदार तहसील ब्यौहारी जिला - शहडोल (म0प्र0)
//आदेश//

ब्यौहारी दिनांक - 27/11/2023


क्र0/आ0का0/पटस्था0/2023/539 श्री प्रसन्न सिंह पटवारी तहसील कार्यालय ब्यौहारी का दिनांक 25/11/2023 को आकस्मिक निधन होने से उनके वैध वारिस उत्तराधिकारी श्रीमती गुंजा सिंह को मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (कर्मचारी बीमा सह बचत योजना) 2023 अंशदान की राशि 200.00 रूपये प्रतिमाह की राशि की जाती थी। बीमा मूल्य राशि 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) रूपये निर्धारित है।

अतएव नीचे अंकित विवरण अनुसार बीमा सह बचत की योजना की राशि आहरण एवं भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0	मृतक का नाम	उत्तराधिकारी वैध वारिस का नाम	आधार कार्ड नंबर	खाता क्र0	आईएफसी कोड	स्वीकृति राशि
1	श्री प्रसन्न सिंह पटवारी	श्रीमती गुंजा सिंह	600511849154	41569569826	SBIN0000468	2,50,000.00


शब्दों में- दो लाख पचास हजार रूपये मात्र

अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनुमोदित।


 तहसीलदार
 तहसील ब्यौहारी जिला - शहडोल (म0प्र0)
 ब्यौहारी दिनांक 27/11/2023

पृ0क्र0/आ0का0/ 2023/539
 प्रतिलिपि:-

- 1- महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
- 2- कलेक्टर भू-अभिलेख जिला-शहडोल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
- 3- जिला कोषालय अधिकारी जिला-शहडोल की ओर सूचनार्थ।
- 4- देयक लिपिक तहसील कार्यालय ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ।
- 5- संबंधित जन श्रीमती गुंजा सिंह ग्राम पोस्ट बरा तहसील सेमरिया जिला-रीवा मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।


 तहसीलदार
 तहसील ब्यौहारी जिला - शहडोल (म0प्र0)

कार्यालय तहसीलदार तहसील ब्यौहारी जिला - शहडोल (म०प्र०)

बीमा योजना लाभ भुगतान स्वीकृत आदेश

२०२३

ब्यौहारी दिनांक - 28/12/2023

क्र०/आ०का०/पट०स्था०/2023/५५६... श्री प्रसन्न सिंह पटवारी तह. कार्यालय ब्यौहारी जिला शहडोल (म०प्र०) की दिनांक 25/11/2023 सेवारत होते हुए मृत्यु होने के फलस्वरूप उनके द्वारा नामांकित लाभार्थी श्री मती गुंजा सिंह पति स्व० प्रसन्न सिंह को मध्यप्रदेश शासन द्वारा चलाई गई साअवधि सहबीमा योजना 2003 का माह सितंबर 2018 से अक्टूबर 2023 तक कटौती की गई राशि का लाभ स्वीकार किया जाता है

साअवधि सह बीमा योजना 2003 का कटौती विवरण

कटौती अवधि	माह	कटौती दर	कुल कटौती	बचत निधि	ब्याज	भुगतान योग्य राशि	लेखाशीर्ष
09/18 से 10/2023 तक	63	200.00	12600.00	8190.00	2008.00	10198.00	8011.00 बीमा एवं पेशन हेतु 107.00 अन्य जमा. 9996.00 साअवधि सहबीमा योजना 1- बचत निधि 2- बीमा सुरक्षा राशि 3- ब्याज राशि

शब्दों में - दस हजार एक सौ अठानवे रूपये मात्र।

तहसीलदार
तहसील ब्यौहारी जिला - शहडोल (म०प्र०)
ब्यौहारी दिनांक - 28/12/2023

पृ०क्र०/आ०का०/पट०-स्था०/ 2023/५५६.....
प्रतिलिपि:-

- 1- संचालक जीवन बीमा विभाग म०प्र० खालियर की ओर सूचनार्थ।
- 2- कलेक्टर जिला-शहडोल म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
- 3- अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ।
- 4- जिला कोषालय अधिकारी जिला-शहडोल की ओर सूचनार्थ।
- 5- संबंधित जन श्रीमती गुंजा सिंह पति स्वर्गीय श्री प्रसन्न सिंह प्राग बरी तहसील सेमरिया जिला-रीवा म०प्र० की ओर सूचनार्थ।
- 6- देयक लिपिक तहसील कार्यालय ब्यौहारी की ओर सूचनार्थ।

तहसीलदार
तहसील ब्यौहारी जिला - शहडोल (म०प्र०)



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाई पास चौक गोरतरा बुडार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail: ropcbshahadol@gmail.com



क्रमांक: 3330/क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रति,

शहडोल दिनांक: 20/11/2023

जिला खनि अधिकारी
कार्यालय कलेक्टर (खागज शाखा)
जिला- शहडोल/उमरिया/अनूपपुर/डिण्डौरी (म.प्र.)

विषय:- रेत के अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत रेत माफियाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही बाबत।

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में हाल ही में अवैध रेत उत्खनन संबंधी समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हो रहे हैं। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की परिस्थिति निर्मित हो रही है। चूंकि रेत का अवैध उत्खनन गैर कानूनी एवं अवैधानिक घटना है तथा समय-समय पर राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर अधिसूचित खनिज विनिमय नियमों तथा म.प्र. सैण्ड माइनिंग एंड स्टोरेज ट्रेड नियम 2019 के प्रावधानों के अंतर्गत रेत के अवैध उत्खनन का रोकना तथा रेत के अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करके खनिज संसाधन विभाग का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र है।

यह भी उल्लेखनीय है, कि गैर वैज्ञानिकी पद्धति से नदियों से रेत निकालने के कारण पर्यावरण पर निम्नानुसार प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है:-

1. अवैध रेत उत्खनन करने वाले रेत माफियाओं के द्वारा नदी से गैर वैज्ञानिकी तरीके से रेत निकालने के कारण नदी के तल का गहरा होना एवं तटों का कटाव बढ़ना। फलतः नदी का क्षरण होना।
2. अत्यधिक अवैध रेत उत्खनन के कारण पुलों, तटों तथा नजदीकी संरचनाओं के लिए खतरा पैदा होना एवं संलग्न भूमिगत जल परितंत्र भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना।
3. अत्यधिक धारा रेखीय खनन के कारण जलीय एवं तटवर्ती आवासों को नुकसान पहुँचना, नदी तल का क्षरण होना, नदी तल का कठोर होना एवं नदी तल के समीप जल स्तर में कमी होना तथा जल ग्रीवा की अस्थिरता होना।
4. रेत माफियाओं के द्वारा एक ही जगह पर किये जा रहे अवैध रेत उत्खनन के कारण कभी-कभी भू-जल, झरने, भूमिगत कुओं तथा जल स्तर का प्रभावित होना।
5. अत्यधिक अवैध रेत खनन से नदी का तल बदलना, नदी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ इत्यादि से खतरा बढ़ना।

50



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोस्तरा बुडार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

E mail:ropcbshahadol@gmail.com



अतः अनुरोध है, कि जिले में होने वाले अवैध रेत उत्खनन के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण/छापामारी कर अवैध रेत उत्खनन को रोकने हेतु खनिज विनियमन नियमों तथा म.प्र. सैण्ड माइनिंग ट्रान्सपोर्ट एण्ड स्टोरेज ट्रेड नियम 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रयास किया जाना जनहित एवं पर्यावरण हित में उपयुक्त होगा। यह भी अनुरोध है, कि अवैध रेत उत्खननकर्ता माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए। इससे अवैध रूप से रेत उत्खनन में सक्रिय व्यक्ति हतोत्साहित होंगे एवं पर्यावरण क्षति की प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित नहीं होगी।

(क्षेत्रीय अधिकारी)

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

शहडोल (म.प्र.)

शहडोल दिनांक: 20/11/2023

पृ. क्रमांक: 3331 /क्षेका/प्रनिबो/2023

प्रतिलिपि:-

1. संभागायुक्त आयुक्त महोदय, संभागायुक्त कार्यालय, शहडोल/खजलपुर (म.प्र.) की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुरोध सहित प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर महोदय/महोदया, कार्यालय कलेक्टर, जिला शहडोल/उमरिया/अनूपपुर/डिण्डौरी (म.प्र.) की ओर उपरोक्तानुसार अनुरोध सहित प्रेषित।
4. डायरेक्टर (पर्यावरण), प्रभारी: विधि शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(क्षेत्रीय अधिकारी)

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

शहडोल (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail:ropcbshahadol@gmail.com



क्रमांक: 3463/क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रति,

शहडोल दिनांक: 04/12/2023

जिला खनि अधिकारी,
कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा),
जय स्तंभ चौक के पास, शहडोल,
जिला-शहडोल (म.प्र.)

विषय:- रेत के अवैध उत्खनन एवं भण्डारण के संबंध में जिला खनि कार्यालय द्वारा
की गई कार्यवाही संबंधी जानकारी भेजने बावत।
संदर्भ:- खनि निरीक्षक, श्री पट्टा से दूरभाष चर्चा।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत पर्यावरण क्षतिपूर्ति के आलोक में लेख है, कि शहडोल जिले के अंतर्गत माह अक्टूबर 2023 से माह नवम्बर 2023 के दौरान जिला खनिज कार्यालय के द्वारा दायर किये गये अवैध रेत उत्खनन एवं अवैध रेत भण्डारण से संबंधित प्रकरणों की जानकारी एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज जैसे जब्ती नामा, दर्ज की गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन की प्रति एवं संबंधित राजस्व न्यायालय/सी.जे. एम. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये चालान की प्रति सहित शीघ्रताशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

विगत 2 माह से शहडोल जिले में अवैध रेत उत्खनन से संबंधित समाचार प्रमुखता से समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहे हैं, अतः इसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु भी अनुरोध है।

(क्षेत्रीय अधिकारी)

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)

o/c

पृ. क्रमांक: 3464/क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रतिलिपि:-

शहडोल दिनांक: 04/12/2023

1. डायरेक्टर (पर्यावरण), प्रभारी: विधि शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

o/c

(क्षेत्रीय अधिकारी)

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

E mail: ropcbshahadol@gmail.com



क्रमांक: 3541 / क्षेत्रा / प्रनिबो / 2023
प्रति,

शहडोल दिनांक: 07/12/2023

पुलिस अधीक्षक,
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
जिला- शहडोल / अनूपपुर / उमरिया / डिण्डौरी (म.प्र.)

विषय:- रेत के अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत रेत माफियाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही बावत्।

—000—

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत जिले के प्रमुख समाचार पत्रों में हाल ही में अवैध रेत उत्खनन संबंधी समाचार प्रमुखता से प्रकाशित हो रहे हैं। इससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की परिस्थिति निर्मित हो रही है। चूंकि रेत का अवैध उत्खनन गैर कानूनी एवं अवैधानिक घटना है तथा भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध उत्खनन को रोकना तथा अवैध उत्खननकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करना पुलिस विभाग का कार्यक्षेत्र एवं अधिकार क्षेत्र है।

यह भी उल्लेखनीय है, कि गैर वैज्ञानिकी पद्धति से नदियों से रेत निकालने के कारण पर्यावरण पर निम्नानुसार प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है:-

1. अवैध रेत उत्खनन करने वाले रेत माफियाओं के द्वारा नदी से गैर वैज्ञानिकी तरीके से रेत निकालने के कारण नदी के तल का गहरा होना एवं तटों का कटाव बढ़ना। फलतः नदी का क्षरण होना।
2. अत्यधिक अवैध रेत उत्खनन के कारण पुलों, तटों तथा नजदीकी संरचनाओं के लिए खतरा पैदा होना एवं संलग्न भूमिगत जल परितंत्र भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होना।
3. अत्यधिक धारा रेखीय खनन के कारण जलीय एवं तटवर्ती आवासों को नुकसान पहुँचना, नदी तल का क्षरण होना, नदी तल का कठोर होना एवं नदी तल के समीप जल स्तर में कमी होना तथा जल ग्रीवा की अस्थिरता होना।
4. रेत माफियाओं के द्वारा एक ही जगह पर किये जा रहे अवैध रेत उत्खनन के कारण कभी-कभी भू-जल, झरने, भूमिगत कुओं तथा जल स्तर का प्रभावित होना।
5. अत्यधिक अवैध रेत खनन से नदी का तल बदलना, नदी को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होना, साथ ही प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ इत्यादि की संभावना बढ़ना।

53



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोस्तरा बुडार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail:ropcbshahadol@gmail.com



अतः अनुरोध है, कि जिले में होने वाले अवैध रेत उत्खनन के संबंध में समय-समय पर निरीक्षण/छापामारी कर अवैध रेत उत्खनन को रोकने हेतु भारतीय दण्ड विधान संहिता के प्रावधानों के अनुपालन में प्रयास किया जाना जनहित एवं पर्यावरण हित में उपयुक्त होगा। यह भी अनुरोध है, कि अवैध रेत उत्खननकर्ता माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर जी जाये, इससे अवैध रूप से रेत उत्खनन में सक्रिय व्यक्ति हतोत्साहित होंगे एवं पर्यावरण क्षति की प्रतिकूल परिस्थिति निर्मित नहीं होगी।

(क्षेत्रीय अधिकारी)

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)

शहडोल दिनांक: 07/12/2023

पृ. क्रमांक: 3542 /क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रतिलिपि:-

1. संभागायुक्त आयुक्त महोदय, संभागायुक्त कार्यालय, शहडोल/जबलपुर (म.प्र.) की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुरोध सहित प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, शहडोल/जबलपुर (म.प्र.) की ओर उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने हेतु अनुरोध सहित प्रेषित।
3. सदस्य सचिव महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. डायरेक्टर (पर्यावरण), प्रभारी: विधि शाखा, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(क्षेत्रीय अधिकारी)

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail:ropcbshahadol@gmail.com



154

कमांक: 3539 /क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रति,

शहडोल दिनांक: 07/12/2023

1. श्री नारायण सिंह,
वाहन मालिक, मैहर,
जिला— मैहर (म.प्र.)
2. श्री शुभम,
वाहन चालक,
जिला—शहडोल (म.प्र.)

विषय:— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के उल्लंघन बावत् आपके विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित किये जाने बावत् नोटिस।

- संदर्भ:—
1. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधान।
 2. माननीय एनजीटी प्रकरण कमांक 174/2023 में दिनांक 05.12.2023 को पारित आदेश।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ.ए. प्रकरण कमांक 174/2023 (Suo Moto Action on the News Paper Article Published in Dainik Bhaskar Daily Dated 27.11.2023 regarding illegal sand mining and killing of official on duty in Shahdol District of Madhya Pradesh Vs State of Madhya Pradesh & Ors.) में दिनांक 05.12.2023 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में शहडोल जिले के ब्यौहारी ब्लॉक के गोपालपुर अंतर्गत आपके वाहन का अवैध रेत परिवहन में संलग्न/चालन पाया गया है। अवैध रेत उत्खनन से पर्यावरण के परिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँचति है। आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है।

अतः आपके द्वारा किये गये Environmental Ecological Damages के कारण पर्यावरण को हुई क्षति की गणना कर रू. 12470.00/— (बारह हजार चार सौ

59



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोखरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)
E mail:ropcbshahadol@gmail.com



सत्तर रूपरे मात्र) की पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि आपके विरुद्ध अधिरोपित किया जाना विचाराधीन है।

आदेश पारित करने के पूर्व आपको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि आप इच्छुक हों, तो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के पालनार्थ तथा माननीय एनजीटी के निर्देशों के परिपालनार्थ 15 दिवस की समयावधि में अपने पक्ष से अभिमत/उत्तर/आपत्ति से लिखित रूप में अथवा कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अवगत करा सकते हैं। निर्धारित समयावधि में आपसे कोई उत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा, कि आपको इस संबंध कुछ भी नहीं कहना है। तत्परांत आपको उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि बोर्ड के खाते में अविलंब जमा करना होगा।

// पत्र की प्राप्ति से अभीस्वीकृत कराएँ //

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक: 3540 /क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रतिलिपि:-

शहडोल दिनांक: 07/12/2023

1. थाना प्रभारी, देवलौद, तहसील-ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर अपराधिक प्रकरण होने के कारण उक्त नोटिस को सर्वसंबंधितों को तामील कराने हेतु विनम्र अनुरोध है।

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

E mail:ropcbshahadol@gmail.com



कमांक: 3552 /क्षेका/प्रनिबो/2023
प्रति,

शहडोल दिनांक: 08/12/2023

1. श्री नारायण सिंह,
वाहन मालिक, मैहर
जिला- मैहर (म.प्र.)
2. श्री शुभम
वाहन चालक
जिला-शहडोल (म.प्र.)

विषय:- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों का उल्लंघन करने हेतु आपके विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित किये जाने बाबत नोटिस।

- संदर्भ:-
1. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधान।
 2. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधान।
 3. माननीय एनजीटी प्रकरण क्रमांक 174/2023 में दिनांक 05.12.2023 का पारित आदेश।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण ओ.ए. प्रकरण क्रमांक 174/2023 (Suo Moto Action on the News Paper Article Published in Dainik Bhaskar Daily Dated 27.11.2023 regarding illegal sand mining and killing of official on duty in Shahdol District of Madhya Pradesh Vs State of Madhya Pradesh & Ors.) में दिनांक 05.12.2023 को पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में शहडोल जिले के ब्यौहारी ब्लॉक के गोपालपुर अंतर्गत आपके वाहन का अवैध रेत परिवहन में संलग्न/चालन पाया गया है। अवैध रेत परिवहन में प्रयुक्त आपके वाहन द्वारा ईंधन के रूप में उपयोग होने वाले डीजल के जलने से वायुमण्डल में कार्बन डाइ-ऑक्साइड गैस की मात्रता में बढ़ोत्तरी होती है। कार्बन डाइ-ऑक्साइड गैस ग्रीनहाउस प्रभाव का प्रमुख कारक है तथा इससे वायु प्रदूषण भी होता है। आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य केन्द्र शासन के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित किये गये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से अवहेलना की गई है।

अतः आपके द्वारा किये गये Emission of Green House Gases के कारण पर्यावरण को हुई क्षति की गणना कर रु. 10735.00/- (दस हजार सात सौ पैंतीस

57



क्षेत्रीय कार्यालय
मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

E mail: ropcbshahadol@gmail.com



रूपे मात्र) की पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि आपके विरुद्ध अधिरोपित की जाना विचाराधीन है।

आदेश पारित करने के पूर्व आपको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि आप इच्छुक हों, तो वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों तथा माननीय एनजीटी के निर्देशों के पालनार्थ 15 दिवस की समयावधि में अपने पक्ष से अभिमत/उत्तर/आपत्ति से लिखित रूप में अथवा कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अवगत करा सकते हैं। निर्धारित समयावधि में आपसे कोई उत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने पर यह माना जाएगा, कि आपको इस संबंध कुछ भी नहीं कहना है। तत्पश्चात् आपको उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि बोर्ड के खाते में अविलंब जमा करना होगा।

// पत्र की प्राप्ति से अभीस्वीकृत कराएँ //

etc

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)

पृ. क्रमांक: 3553 /क्षेका/प्रनिबो/2023

शहडोल दिनांक: 08/12/2023

प्रतिलिपि:-

1. थाना प्रभारी, देवलौद, तहसील-ब्यौहारी, जिला-शहडोल (म.प्र.) की ओर अपराधिक प्रकरण होने के कारण उक्त नोटिस को सर्वसंबंधितों को तामील कराने हेतु विनम्र अनुरोध है।

etc

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

बाई पास चौक गोरतरा बुढार रोड जिला शहडोल 484001 (म.प्र.)

E mail: ropcbshahadol@gmail.com



कमांक: 3769 / क्षेत्रा / प्रनिबो / 2024

शहडोल दिनांक: 02 / 01 / 2024

प्रति,

डायरेक्टर (पर्यावरण),
प्रभारी: विधि शाखा,
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी,
मुख्यालय, भोपाल (म.प्र.)

विषय:— माननीय एनजटी द्वारा पंजीबद्ध प्रकरण कमांक 174 / 2023 में पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपण के संबंध में नीतिगत निर्णय बावत्।

- संदर्भ:— 1. माननीय एनजीटी प्रकरण कमांक 174 / 2023 में दिनांक 05.12.2023 को पारित आदेश।
2. बोर्ड मुख्यालय, भोपाल का आदेश कमांक 198 दिनांक 11.08.2023
3. इस कार्यालय के द्वारा संबंधितों के विरुद्ध जारी नोटिस पत्र कमांक 3539 दिनांक 07.12.2023

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत अनुरोध सहित लेख है, कि शहडोल जिले में दिनांक 25.11.2023 को हाल ही में रात्रिकाल में घटित अवैध रेत उत्खनन संबंधी दुखद घटना में एक पटवारी की मौत हो गई थी, उक्त परिप्रेक्ष्य में समाचार पत्र में अवैध उत्खनन संबंधी प्रकाशित खबर का माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा संज्ञान में लेकर 174 / 2023 प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। उक्त संबंध में आवश्यक प्रतिबंधात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही करने की वैधानिक शक्तियाँ मध्यप्रदेश ग्रीन खनिज नियम 1998 एवं मध्यप्रदेश रेत (खनन, परिवहन, भण्डारण तथा व्यापार) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार जिला कलेक्टर अथवा जिला खनिज अधिकारी को प्रदत्त की गई हैं। भारतीय दण्ड संहिता 1860 एवं अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत खनिज को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर अवैध उत्खनन को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को आवश्यक कानूनी शक्तियाँ दी गई हैं।

अतः इस संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, कि अवैध उत्खनन को रोकने हेतु वित्तीय संसाधन आवश्यक अमला तथा वैधानिक शक्तियाँ म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रदत्त नहीं हैं। बोर्ड मुख्यालय, भोपाल के आदेश कमांक 198 दिनांक 11.08.2023 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को उद्योगों एवं संस्थानों के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का अधिकार दिया गया है, परन्तु इस आदेश में अवैध उत्खनन संबंधी अपराधिक गतिविधियों में संलग्न असाभाजिक व्यक्तियों के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। उक्त दिनांक 25.11.2023 को शहडोल जिले की ब्यौहारी तहसील के देवलौद ब्लॉक के अंतर्गत स्थित गोपालपुर ग्राम में घटित घटना से संबंधित स्थल पर कोई भी खदान शासन के द्वारा माइनिंग लीज प्राप्त नहीं है/सूचीबद्ध नहीं है। घटना स्थल सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के अंतर्गत सम्मिलित होने के कारण वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में है। चूंकि यह प्रकरण अवैध उत्खनन से संबंधित होने के कारण विशिष्ट प्रकृति का है, अतः पर्यावरण क्षतिपूर्ति अधिरोपण पर बोर्ड मुख्यालय स्तर से निर्णय लिया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकरण में सुनवाई की आगामी तिथि दिनांक 25.01.2024 निर्धारित की गई है।

सुलभ संदर्भ हेतु कार्यालय द्वारा अवैध उत्खनन में संलग्न अपराधिक व्यक्तियों को जारी किये गये नोटिस पत्र एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि गणना का पत्रक संलग्न कर संप्रेषित है।

संलग्न:— उपरोक्तानुसार

क्षेत्रीय अधिकारी
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
शहडोल (म.प्र.)

Environmental Compensation for Ecological Damages

Amount of sand illegally mined = 475 m³

As per the approach suggested by expert committee constituted by mentioned in report submitted by CPCB on 30.01.2020 in pursuance of earlier orders on scale of compensation to be recovered for violation of Norms for mining on polluters pay principal (in order dated 26.02.2021 NGT 360/2015).

Approach 2 was found to be more suitable by the Hon'ble NGT Bench, so as per above approach.

Market value of Mined Material (illegally mined sand in this case)

= 475x25

(D) = Rs. 11875

Since mining done is not very excess in amount hence taking severity as moderate, Risk level is 2 and Risk Factor = 0.5 hence discount taken (r) = 7%

Annual value of Forgone Ecological values

= 11875x0.50

(DxRF) = 5937.5

Present value for Forgone Ecological value (7% rate and over 5years)

$$\begin{aligned}
 \text{Present value (PV)} &= \sum_{t=1}^5 \frac{(DxRF)}{(1+r)^t} = \sum_{t=1}^5 \frac{5937.5}{(1+r)^t} \\
 &= \frac{5937.5}{(1+0.07)} + \frac{5937.5}{(1+0.07)^2} + \frac{5937.5}{(1+0.07)^3} + \frac{5937.5}{(1+0.07)^4} + \frac{5937.5}{(1+0.07)^5} \\
 &= \text{Rs. } 24344.922 \\
 &= \text{Rs. } 24345
 \end{aligned}$$

Net Compensation (NPV) = PV-D

= Rs. 24345-11875

= Rs. 12,470.00/- (Twelve Thousand Four Hundred Seventy Rupees Only)


 Shubham Verma
 Contract Engineer
 MPPCB, Sheikhpur (M.P.)